28 28

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1423/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.04.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 328/अपील/13-14.

---

1. श्रीमती अंजूलता पिता चन्द्रिका प्रसाद वर्मा
   निवासी मलकापुर तह. व जिला बैतूल
2. श्रीमती मंजूलता पिता चन्द्रिका प्रसाद वर्मा
   निवासी पुराना बच्चा जेल के पास, टिकारी
   तहसील व जिला बैतूल, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. चन्द्रिका प्रसाद आ. श्री सालिकराम वर्मा
   साकिन- प्रताप वार्ड टिकारी, तह. व जिला बैतूल
2. खिलेश आ. श्री किशनचंद सतीजा,
   निवासी लोहिया वार्ड तह. व जिला बैतूल
3. बलदेव आ. श्री के.एल. अरोरा
   निवासी राजेन्द्र वार्ड, बैतूल
   तह. व जिला बैतूल, म.प्र.
4. यशवंतराव आ. श्री भगवंतराव कनाठे
   निवासी झल्लार, तह. भैंसदेही व जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री पुरूषोत्तम शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 27.04.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 2 व 4 द्वारा तहसील न्यायालय, बैतूल के समक्ष ग्राम टिकारी स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1070/1 रकबा 1.808 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1074/46 रकबा 0.711 हैक्टेयर में से क्रय शुदा रकबा 1.011 हैक्टेयर भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.11.2007 के अनुसार नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 01.01.2008 को आदेश पारित कर यह कहते हुए कि विवादित संपत्ति का प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, आवेदन निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21.08.2008 को अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन वाद की अद्यतन स्थिति/आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निराकरण करें। तहसीलदार द्वारा सुनवाई उपरांत दिनांक 04.09.2008 को आवेदन स्वीकार कर नामांतरण आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध पुन: अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 154/अ-6/11-12 दर्ज कर दिनांक 16.11.2009 को आदेश पारित कर आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 27.04.2017 को अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष अपील संस्थापित की थी, जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा यह अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग,

होशंगाबाद को प्रस्तुत की थी। उक्त अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आयुक्त द्वारा इस अपील के निराकरण दिनांक 27.04.2017 को अपील स्वीकार किये जाने के उपरांत आवेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत के पश्चात् राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा यथास्थिति आदेश 10.08.17 को दिये गये।

(3) आयुक्त को यह देखना था कि उनके साक्ष्य अपील अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल के आदेश दिनांक 30.07.2014 को अपील की गई थी, उस ओर वैधानिकता को देखना था। कॉलम नंबर तीन में प्रविष्टि दिनांक 28.03.2013 की अपील संधारित नहीं, उसे निरस्त किये जाने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि चन्द्रिकाप्रसाद द्वारा उसकी कोई अपील भी आज दिनांक तक नहीं की गई है, जो कि अंतिम है।

(4) आयुक्त द्वारा पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया, जबकि अपीलार्थी चन्द्रिका प्रसाद द्वारा आदेश नियम 41 नियम 27 सहपठित धारा 32 का आवेदन पत्र दिया था, उस पर पर्याप्त सुनवाई का अवसर ना दिया जाकर आदेश पारित किया, जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अपीलार्थी चन्द्रिका प्रसाद सूची अनुसार दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

(5) चन्द्रिका प्रसाद वर्मा द्वारा सिविल कोर्ट में वाद लंबित रहते हुए करीब ढाई एकड़ जमीन यशवंतराव एवं खिलेश को बेची गई। इसको बेचकर पुत्र हरिश मुकेश कि बहू अर्चना कल्पना के नाम से खरीदी गई। इस प्रकार से खानदानी जमीन औचित्य समाप्त कर रहा है, ताकि पुत्रियों को हिस्सा न मिल सके एवं पुत्र और पुत्र वधु को ही देने पर तत्पर है।

तर्कों के समर्थन में 2009(2) एम.पी.एल.जे. 247, 2009(2) एम.पी.एल.जे. 251, 2007(2) एम.पी.जे.आर. 303 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.04.2017 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय ने आवेदिकाओं का प्रश्नाधीन

संपत्ति पर दावा खारिज किया है। सिविल न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में तहसील न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक 3 के पक्ष में हुए नामांतरण में बाकि भूमि पर सभी भाई-बहनों की सहमति की जो शर्त लगाई है, वह उचित नहीं है आयुक्त द्वारा अपने आदेश में तहसील न्यायालय के आदेश की उस शर्त को हटाने में विधिवत कार्यवाही की गई है।

16/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर